रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

No. 367] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

विषय : दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के कारण होटलों के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. की अनुमति देने हेतु प्रभारों का निर्धारण ।

का.आ. 567(अ).—संख्या का. आ. 2433(अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के कारण होटलों के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. के कारण वसूली करने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है। तदनुसार, दर ढाँचा निम्नानुसार रहेगा :—

क्रम सं.	मद	मापदण्ड	दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1	होटलों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार	(i) बढ़े हुए एफ.ए.आर. का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र सभी होटलों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु प्रभार, संबंधित जोन की जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए.आर.) के 100 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की दर से वसूल किए जाएंगे। (ii) यदि अतिरिक्त कमरे 31-7-2010 से पहले पूरी तरह से तैयार कर लिए जाते हैं और 31-8-2010 से पहले उनकी दरों का निर्धारण एवं वर्गीकरण कर लिया जाता है, तो केवल उन होटलों के लिए जैड.ए.ए.आर. के 25 प्रतिशत की रियायती दर वसूल की जाएगी, जो 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बनने वाले नए होटलों के लिए उपलब्ध आय-कर छूट के पात्र नहीं हैं।	(i) बढ़े हुए एफ.ए.आर. का लाभ उठाने वाले पात्र सभी होटलों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु प्रभार, संबंधित जोन की जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए.आर.) के 50 प्रतिशत की दर पर वसूल किए जाएंगे। तदनुसार, जोनवार दरें निम्नानुसार होंगी :— जोन — वर्ष 2007-08 हेतु 50% प्रति वर्ग मीटर दर (100 एफ.ए.आर. के लिए) मध्य — 1,67,765 रु. दक्षिणी — 76,523 रु. द्वारका — 76,523 रु. उत्तरी — 39,892 रु. पूर्वी — 40,687 रु. पश्चिमी — 39,892 रु.

(1)	(2)	(3)	(4)	
		(iii) पर्यटन मंत्रालय होटलों के वर्गीकरण की कार्वाई में शीघ्रता करेगा। यदि यह कार्वाई, कमरे हर तरह से पूरे होने के बाद 10 कार्य-दिवसों के अंदर पूरी नहीं होती तो उक्त (ii) में उल्लिखित जैड.ए.ए.आर. के 25 प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति, वर्गीकरण पर दबाव दिए बिना, भवनों के पूरा होने के आधार पर दी जाएगी।	रोहिणी नरेला	25,741 रु. किसी भी होटल प्लॉट की नीलामी नहीं की गई।

2. ये दरें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आगे संशोधित एवं अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेंगी ।

[सं. फा. 20(4)05/एम.पी./पार्ट I(ए)]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

Subject : Fixation of Charges for grant of enhanced FAR to hotels arising out of modification in MPD-2021.

S.O. 567(E).—In partial modification of No. SO 2433(E), dated 10 October, 2008 and in exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations for the purpose of recovery on account of grant of enhanced FAR to hotels arising out of modification in MPD 2021. Accordingly the rate structure shall be as under :—

Sl.No.	Item	Parameters	Rates
1.	Additional FAR Charges for Hotels	(i) The charges for additional FAR for all hotels eligible for availing the enhanced FAR shall be recovered at 50% of the Zonal Average Auction Rate (ZAAR) for the respective zone instead of 100%. (ii) If the additional rooms are completed before 31-7-2010 and rated and classified before 31-8-2010, a concessional rate of 25% of the ZAAR shall be charged from those hotels, which are not eligible for the Income Tax concessions available to new hotels coming up during the Commonwealth Games, 2010. (iii) Ministry of Tourism will expedite the process of classification of hotels. In case the process is not completed within 10 working days after the rooms are complete in all respects, the concessional rate of 25% of ZAAR referred to in (ii) above may be allowed based on completion of the buildings, without insisting on classification.	(i) The charges for additional FAR for all hotels eligible for availing the enhanced FAR shall be recovered at 50% of the Zonal Average Auction Rate (ZAAR) for the respective zone. Accordingly, the zone-wise rates shall be as under :—

Zone	50% Rate per sq. mtr. (for 100 FAR) for 2007-08
Central	Rs. 1,67,765
South	Rs. 76,523
Dwarka	Rs. 76,523
North	Rs. 39,892
East	Rs. 40,687
West	Rs. 39,892
Rohini	Rs. 25,741
Narela	No hotel plot auctioned

2. These rates will remain in force till these are further modified and notified with the approval of Central Government.

[No. F. 20 (4) 05/MP/Pt-I (A)]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064